

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल
(ए.डी.आर. भवन, जिला न्यायालय, शहडोल (म.प्र.) 484001)

क्रमांक / 50 / जि.वि.से.प्रा. / 2026

शहडोल, दिनांक-18/04/2026

// भर्ती विज्ञप्ति //

माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के पत्र क्रमांक फा.नं. 337 / स्था. / राविसेप्रा / 126 / 2026 जबलपुर, दिनांक 09.04.2026 पालन में, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल में बहुउपयोगी चौपहिया वाहन हेतु वाहन चालक के पद के लिए संविदा आधार पर 02 वर्ष की अवधि हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।-

01. आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि दिनांक 20 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ ।

02. आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 30 अप्रैल, 2026 शाम 05:00 बजे तक

03. पद का नाम एवं संख्या:-

01.	वाहन चालक	01 पद
-----	-----------	-------

04. मानदेय:-

वाहन चालक	रु. 12,000/- मासिक
-----------	--------------------

05. आवेदन पत्र दिनांक 20.04.2026 से दिनांक 30.04.2026 को शाम 05:00 बजे तक भरे जा सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल तथा जिला न्यायालय शहडोल की अधिकारिक वेबसाईट <https://shahdol-dcourts-gov.in> पद से डाउनलोड कर सकते हैं।

06. वाहन चालक के पद हेतु योग्यता एवं शर्त:-

(अ) मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य।

(ब) वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य।

(स) आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01.01.2026 तक 18 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है, एवं अधिकतम आयु 01 जनवरी 2026 की स्थिति में 35 वर्ष होना आवश्यक है।

(अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को अधिकतम 03 वर्ष की छूट प्रदाय की जायेगी)

(द) चौपहिया वाहन के योग्य तकनीशियन को प्राथमिकता।

टीप:- आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्त अनुसार दर्शित न्यूनतम



शैक्षणिक अहर्ताएं आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

07. आवेदन पत्र एवं स्वप्रमाणित आवश्यक दस्तावेज—

आवेदक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अथवा इस विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार अपने आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरें तथा अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अहर्ता से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किया जाना अति आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं एवं वह अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं करता है, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा व आवेदन पत्र नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

08. आवेदन पत्र का प्रेषण:—

आवेदक को आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं दो नवीन रंगीन छायाचित्रों (पासपोर्ट साईज फोटो) के साथ बंद लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल के नाम से संबोधित करते हुए, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल में स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 20.04.2026 से दिनांक 27.04.2026 को शाम 05:00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं कोई पत्राचार भी मान्य नहीं होगा।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जाएगा, भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन पत्र व आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त न होने की दशा में संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी और उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

09. साक्षात्कार की तिथि :-

पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि संबंधी जानकारी, जिला न्यायालय शहडोल की अधिकारिक वेबसाईट <https://shahdol-dcourts-gov.in> तथा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल के सूचना पटल पर पृथक से प्रसारित की जाएगी।

10. चयन प्रक्रिया/साक्षात्कार:—

अभ्यर्थियों का चयन निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा जो की साक्षात्कार एवं वाहन चालन की योग्यता पर आधारित होगा तथा चयन समिति द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर अधिकतम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही उक्त पद हेतु चयनित किये जाएंगे। यह प्रक्रिया अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठित समिति के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा तथा भर्ती म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी/कर्मचारी (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियम 2009 के नियम 6(2) के अंतर्गत निर्धारित योग्यता एवं शर्तों के अनुरूप किया जायेगा।



पात्र आवेदकों को चयन समिति/बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए नियत तिथि पर आवश्यक रूप से उपस्थित रहना होगा। आवेदक को साक्षात्कार दिनांक को अपने आवेदन पत्र में संलग्न स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा, जिसका सत्यापन साक्षात्कार दिनांक पर किया जाएगा।

पद की पात्रता की जांच हेतु चयन समिति द्वारा ड्राईविंग का परीक्षण करवाया जा सकता है। अनुपस्थित रहने की दशा में आवेदकगण को दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।

11. चयन परिणाम:—

चयन समिति/बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से चयनित आवेदकों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल के सूचना पटल तथा जिला न्यायालय, शहडोल की आधिकारिक वेबसाइट <https://shahdol-dcourts-gov.in> पर प्रकाशित की जाएगी। एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की दशा में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता देते हुए सूची तैयार की जाएगी।

नोट:— अंतिम परिणाम सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात जैसे कि आवश्यक समझा जाए, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान त्रुटि ध्यान में आती है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल को परिणामिक परिवर्तनों के साथ चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

12. नियुक्ति के संबंध में:—

चयनित आवेदक की वाहन चालक पद पर नियुक्ति पूर्ण रूप से संविदा आधार पर अनुबंध की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये होगा जिससे संतोषजनक प्रदर्शन, अच्छे आचरण व निरन्तरता के आवश्यकता के आधार पर तत्पश्चात 01 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। संविदा अवधि के पश्चात् नियमित नियुक्ति या निरंतर सेवा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

संविदा चालक की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने या अन्य प्रशासनिक स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताये 01 माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा। संविदा वाहन चालक भी पूर्व नोटिस देकर या 01 माह के वेतन के बराबर राशि जमा किया जाकर त्याग पत्र दे सकेगा।

संविदा चालक के कार्यों की समीक्षा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर किया जायेगा और संतोषजनक प्रदर्शन न किये जाने तथा अनुशासन के अनुरूप न पाये जाने पर अनुबंध की निरन्तरता या विस्तार किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा। संविदा चालक को 01 कैलेंडर वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

चयनित आवेदक को पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र तथा जिला मेडिकल बोर्ड से स्वयं के व्यय पर निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो, अदा कर मेडिकल जांच करवाकर फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।



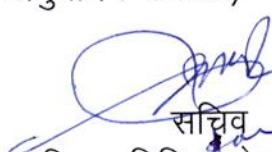
13. शुद्धि पत्र :-

उपरोक्तानुसार संविदा वाहन चालक की भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उक्त संशोधन शुद्धिपत्र के माध्यम से जिला न्यायालय शहडोल की आधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाईट पर प्रकाशित शुद्धिपत्र को सभी अभ्यर्थियों के लिए उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा एवं भर्ती प्रक्रिया पर प्रभावशाली रहेगा।

14. आवेदनों का विनिष्ठीकरण :-

आवेदन पत्रों का अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन को छोड़कर व अन्य सामग्री का चयन सूची अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जाएगा।

(माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरांत)


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला न्यायालय शहडोल म0प्र0



//01//

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के अनुदान अंतर्गत बहुउपयोगी चौपहिया वाहन के लिए संविदा आधार पर वाहन चालक की 02 वर्ष की अविध हेतु भर्ती

// आवेदन पत्र //

आवेदन पत्र क्रमांक (कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदित पद -

संविदा वाहन चालक

स्वप्रमाणित
नवीनतम
पासपोर्ट, साईज
फोटोग्राफ
चस्पा करें

01. आवेदक का नाम -
02. पिता/पति का नाम-
03. जन्म तिथि: - आयु- 01.01.2026 को वर्ष माह दिन
(जन्म तिथि के संबंध में आवश्यक स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
04. लिंग - पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर (✓)
05. वर्तमान पूर्ण पता-
06. स्थायी पूर्ण पता-
07. मोबाइल नंबर, -
लैंडलाइन नंबर
(व्हाट्सएप नंबर सहित)
08. ईमेल आई-डी-
09. पेन कार्ड नंबर-
(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
10. आधार कार्ड नंबर-
(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
11. ड्राइविंग लाइसेंस क्र. जारी करने का वर्ष वैधता अवधि
12. शैक्षणिक योग्यताएँ - केन्द्र अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालय/
महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

क्र.	कक्षा	विषय	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण/वर्ष	प्राप्त प्रतिशत
01.	10वीं				
02.	12वीं				
03.	स्नातक				
04.	अन्य शैक्षणिक योग्यता				



आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंकसूची/ डिग्री/डिप्लोमा की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

//02//

13. चौपहिया वाहन चालन एवं उसके सुधार कार्य का अनुभव :-

आवेदक के पास यदि चौपहिया वाहन चालन या उसके सुधार कार्य के संबंध में अनुभव हो, तो उक्त कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :-



स्व घोषणा-पत्र

मैं संविदा वाहन चालक पद के लिए आवेदन करना चाहता/चाहती हूँ।
 मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री उम्र वर्ष,
 निवासी जिला राज्य
 एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र की कंडिका
 क्रमांक 01 लगायत 13 तक दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैंने
 इसमें कुछ भी छिपाया नहीं है, मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने
 पर मेरा आवेदन व भर्ती हो जाने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त करते हुये, मेरे विरुद्ध
 आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभों को भी
 वापस किया जाएगा। मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने, न्यायालय तथा अन्य किसी विभाग में
 कोई आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

दिनांक :-

हस्ताक्षर

स्थान :-

नोट:-यदि कोई आपराधिक प्रकरण/कार्यवाही संस्थित अथवा निराकृत हुई हो तो विवरण एवं
 दस्तावेज पृथक से प्रस्तुत करे।